परिपत्र- 01/2018

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज, 'पंजीयन भवन' अजमेर

क्रमांक :– एफ–1(5)/लेखा/ई–स्टाम्प रिफण्ड/विविध/2017–18/397 दिनांक 04/01/2018

–: परिपत्र :–

विषय :– ई स्टाम्पों के रिफण्ड की प्रक्रिया के क्रम में।

***

विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र एफ–7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 परिपत्र संख्या 20/2015 के बिन्दु संख्या. 7 में "खराब (Spoiled) अनुपयोगी (Misused)/कोरे (Unused)" ई स्टाम्प के रिफण्ड के सम्बन्ध में प्रक्रिया दी गई हैं।

चूंकि अब स्टाम्प रिफण्ड के बिलों का भुगतान Online माध्यम से होने से जिस कार्यालय में राशि जमा करायी जाती है, उस कार्यालय की Mapping जिस कोषालय से होती है, उसी कोषालय से ई–स्टाम्प रिफण्ड बिलों को भुगतान संभव हैं। इस क्रम में वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 01.11.2012 एवं 10.09.2013 में उल्लेख किया है कि कोषाधिकारी द्वारा जमा राशि की पुष्टि किये जाने के पश्चात् D-Face विकल्प के माध्यम से रिफण्ड की जाने वाली राशि को D-Face किया जाना है, ताकि उक्त राशि की पुनः रिफण्ड की संभावना ना रहें।

उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालयों को यह अवगत कराया जाता है कि SHCIL द्वारा इश्यू किये गये स्टाम्पों की राशि Online माध्यम से E-Treasury जयपुर में जमा होती है। E-Treasury जयपुर की Mapping उप महानिरीक्षक जयपुर–प्रथम के कार्यालय से हैं। इस कारण ऐसे रिफण्ड के प्रकरणों के बिलों का भुगतान केवल उप महानिरीक्षक जयपुर–प्रथम द्वारा ही किया जा सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि, सम्बन्धित उप महानिरीक्षक कार्यालय में प्राप्त ई–स्टाम्प रिफण्ड के प्रकरणों में विभागीय परिपत्र 2015 में दिये गये प्रावधानानुसार सभी औपचारिकताएँ पूर्वानुसार पूर्ण करें एवं उप महानिरीक्षक जयपुर–प्रथम को राशि आहरण हेतु अधिकृत्त करते हुए राशि रिफण्ड की स्वीकृत्ति जारी करें। साथ ही पक्षकार के खाता संख्या से सम्बन्धित पूर्ण विवरण से उप महानिरीक्षक जयपुर–प्रथम को अवगत करवाये। उप महानिरीक्षक जयपुर–प्रथम ऐसे प्राप्त सभी रिफण्ड प्रकरणों के संबंध में Online Bill तैयार कर यथाशीघ्र E-Treasury को भिजवायेंगें एवं रिफण्ड के पश्चात्, सम्बन्धित उप पंजीयक/उप महानिरीक्षक कार्यालय को अवगत करायेंगे। उप महानिरीक्षक जयपुर–प्रथम तथा सम्बन्धित उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय एक पंजिका संधारित कर इस प्रकार के प्रकरणों का पूर्ण लेखा संधारित करेंगे।

संलग्न : पंजीका के प्रारूप।

4/1/18

(डॉ. राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक

D:\PRADEEP\Revenue & insurance ticket LETTER.doc35

क्रमांक :– एफ–1(5)/लेखा/ई–स्टाम्प रिफण्ड/विविध/2017–18/ 398-1097 दिनांक 4/01/2018

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
9. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
12. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
14. समस्त शाखाऍ, मुख्यालय, अजमेर।

4/1/18

महानिरीक्षक

(प्रारूप)

ई–स्टाम्प रिफण्ड के आवेदन पत्रों का रजिस्टर(वृत्त कार्यालय स्तर पर संधारण हेतु)

क्र.स.	जनरल रिसिट संख्या	पक्षकार का नाम	दावे की राशि	स्वीकृति का पत्रांक व दिनांक	उप महानिरीक्षक वृत्त–जयपुर(प्रथम) को प्रेषित प्रकरण का पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत राशि	बिल नम्बर दिनांक	भुगतान की दिनांक
1								
2								
3								
4								
5								

(प्रारूप)

ई–स्टाम्प रिफण्ड के आवेदन पत्रों का रजिस्टर

(उप महानिरीक्षक वृत्त–जयपुर (प्रथम) के यहां संधारण हेतु)

क्र.सं.	जनरल रिसिट संख्या	वृत्त कार्यालय का नाम जहां से प्रकरण प्राप्त हुआ	पक्षकार का नाम	स्वीकृत राशि	बिल नम्बर दिनांक	बिल कोषालय को भेजने की दिनांक	भुगतान की दिनांक
1							
2							
3							
4							
5							